न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी :— श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व वि.सं. :— 55/2019
आरसीएमएस :— 2019/00139
दायर तिथि :— 01.11.2019
तारीख निर्णयः— 07.11.2019

प्रार्थी :—
श्री सुमेरसिंह पुत्र मानसिंह
जाति — राजपूत
निवासी — गोगरा, तहसील—सुमेरपुर, जिला — पाली

ब ना म

अप्रार्थी :—
राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर, जिला—पाली (राज.)।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955 एवं सपठित धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट 1956

—: निर्णय :—

दिनांक 07.11.2019

वकील प्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गयी।

प्रार्थना पत्र में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :—

(1) प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र सरहद मौजा बलाना पटवार क्षैत्र बलाना तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 117 रकबा 5.04 हैक्टर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम भूमि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आयी हुई स्थित है, उक्त जमीन की सिंचाई करीबन पिछले 25—30 वर्ष से जवाई नहर से होती आ रही है क्योंकि इसमें कुआं नहीं होने से नहर से सिंचित होती आ रही है।

(2) कि प्रार्थी की भूमि में कोई कुआं वगैराह नहीं है और आस—पास व अडौस पडौस में जो भूमि आयी हुई है उसके खसरा नं. 123, 122, 121, 120, 119, 118 व 117/1, 117/2 के बीच में प्रार्थी की वर्णित भूमि स्थित है, एवं पिछले 25—30 वर्षो से जवाई नहर से सिंचित होती आयी है। सेटमेन्ट के दौरान राजस्व रेकर्ड में सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा भूलवश कृषि भूमि हाल खसरा नं. 117 रकबा 5.04 हैक्टर किस्म जवाई नहरी से चाही दोयम, जाव दोयम गलत रूप से दर्ज कर दी गयी है , जो किस्म परिवर्तन बिना किसी कारण से की गयी है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि जवाई नहर से सिंचित रही है, जिसके सबूत में सिंचाई विभाग से जारी बाराबन्दी सूची की फोटोप्रति संलग्न है। इस वर्ष की बाराबन्दी सूची में वादी की उक्त वर्णित भूमि को बाराबन्दी सूची में शामिल नहीं किया गया है।

(3) कि उक्त भूमि हाल खसरा नं. 117 रकबा 5.04 हैक्टर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम भूमि वादी के नाम दर्ज है। प्रस्तुत समस्त राजस्व रेकर्ड एवं सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं मौका रिपोर्ट इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया गया। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने गत खसरा नं. से नये खसरा नं. दर्ज करते समय भूमि की किस्म जवाई नहरी के स्थान पर गलत रूप से चाही दोयम, जाव दोयम दर्ज की है।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त राजस्व रेकर्ड एवं सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं मौका रिपोर्ट इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया गया। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने हाल खसरा नं. 117 रकबा 5.04 हैक्टर भूमि की किस्म जवाई नहरी के स्थान पर गलत रूप से चाही दोयम, जाव दोयम दर्ज की है। जिसका शुद्धिकरण किया जाना उचित है। जिससे उपरोक्त भूमि में दर्ज किस्म चाही दोयम, जाव दोयम के स्थान पर पूर्व अनुसार जवाई नहरी दर्ज किये जाने के आदेश पटवारी हल्का बलाना एवं तहसीलदार सुमेरपुर को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार अभिलेखागार नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **07.11.2019** को सरेइजलास सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला—पाली (राजस्थान))

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर जिला—पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2020.02.14 16:14:56 IST
Reason: SelfAttested